

20.3.25

वकील जर्घी उपस्थित। वकील जर्घी द्वारा  
डिजी अनुदान राजस्व रिकार्ड में अंकन होगा  
वतला। जर्घी - पत्र में कोई कार्यवाही शेष  
नहीं होने पर जर्घी - पत्र स्वीकार किया  
जाता है। पत्रावली नंबर से रफ चेक डागीवल  
दफतर हो।

अदेश ले इजाजत हुआ गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)



GCMS  
2024/794